झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | पंचम(बजट) सत्र

संख्या-20 | बुधवार, दिनांक-16 मार्च, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से2.30 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. आसन से सूचना:-

आज दिनांक- 16.03.2016 को संध्या 6.00 बजे से खेलगाँव में एकादश विधान सभा एवं एकादश पत्रकार के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में होने सम्बन्धी सूचना आसन द्वारा सदन को दी गई जिसमें कप्तान की भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री एवं उप कप्तान माननीय नेता, प्रतिपक्ष होंगे तत्पश्चात् दोनों टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के नामों की भी घोषणा आसन से की गई।

इस क्रम में माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने स्पोर्ट्स में माननीया महिला सदस्यों को भी मौका दिये जाने का आग्रह किया गया।

2.सूचनाओं का दिया जाना:-

i- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार ने पिछले दिनों माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा माननीय नेता, प्रतिपक्ष के विरुद्ध टिप्पणी किये जाने सम्बन्धी सूचना आसन को दी। आसन द्वारा इसे द्वितीय पाली में रखे जाने हेतु सुझाव दिया गया। माननीय मंत्री द्वारा उक्त आरोप को सिरे से खारिज किया गया। माननीय विपक्ष के नेता ने भी इस सम्बन्ध में अपनी भावना व्यक्त की और स्थानीय नीति को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बताया,

ii- माननीय सदस्य, श्री ईरफान अंसारी ने राँची के एक थाने में प्रेमी युगल द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव गुमला में पुलिस द्वारा आदिवासियों की हत्या किये जाने सम्बन्धी मामले की जाँच की माँग को लेकर सदन की वेल में आ गये। इस दौरान झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश माननीय सदस्य स्थानीय नीति लागू किये जाने सम्बन्धी माँग को लेकर सदन की वेल में पोस्टर सहित आकर नारेबाजी करने लगे। इस क्रम में आसन द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, श्री साधुचरण महतो सहित कुल आठ माननीय सदस्यों से स्थानीय नीति विषयक शून्यकाल की सूचना प्राप्त हुई है जिसपर सरकार गंभीर है। विपक्षी सदस्यों से उन्होंने सदन चलने देने हेतु आग्रह भी किया,

iv- माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री सरयू राय ने भी आग्रह किया कि विपक्ष को सरकार की बात सुननी चाहिये, परन्तु स्थिति यथावत् कायम रही। सत्तापक्ष के भी कतिपय माननीय सदस्य विरोध स्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजरी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन **की कार्यवाही 11.22 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि जो माननीय सदस्य गृह निर्माण समिति के सदस्य नहीं हैं, वे 550/-रु० अध्यक्षीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी, मो० नसीरुद्दीन के पास जमाकर रसीद प्राप्त कर सकते है। साथ ही सदन सुचारू ढंग से चलने के लिये माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा भी आसन द्वारा की गई।

माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि सत्ता पक्ष के कुल 28 माननीय सदस्यों द्वारा राज्य में स्थानीय नीति लागू किये जाने हेतु लिखित आग्रह किया गया है, अतएव सरकार को इसकी घोषण तुरत करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त दिनांक-15. 03.2016 को सदन में प्रस्तुत कैग के रिपोर्ट में किये गये कई घोटालों के खुलासे की ओर भी आसन का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया।

(शोरगुल)

2.सभा पटल पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

i- माननीय सभापति, श्री बिरंची नारायण द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत प्राक्कलन समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

ii- माननीय सभापति, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत पर्यटन विकास समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

iii-माननीय सभापति, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत लोक लेखा समिति का 24वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

iv-माननीय संयोजक, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था दूर करने सम्बन्धी जाँच हेतु गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(शोरगुल)

3.विधायी कार्य:-

(क) मजदूरी भुगतान(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

P.T.O.

(ख)झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण(संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2,3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ग) झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल अवशेष तथा कला निधि (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 45, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(घ) गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक- 17 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित हुई।

राँची, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा।

— X — X —

P.T.O.